संख्या-1/ई-9-349 /दस-2015

प्रेषक,

मुकेश मित्तल,
सचिव, वित्त
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

आहरण एवं वितरण अधिकारी,
वित्त विभाग,
वित्त (सेवायें) अनुभाग-4 (लेखा
उत्तर प्रदेश शासन।

वित्त(व्यय-नियंत्रण)अनुभाग-9 लखनऊ: दिनांक: 1 जून, 2015

विषयः- वित्तीय वर्ष 2015-16 में उत्तर प्रदेश व्यापार विकास निधि में प्रावधानित बजट व्यवस्था की स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल वित्तीय वर्ष 2015-16 में उत्तर प्रदेश व्यापार विकास निधि में रू0 2000.00 करोड़ (दो हजार करोड़) के अन्तर्लेखा संक्रमण द्वारा जमा किये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है।

2. इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय वर्ष 2015-16 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-61-आयोजनागत के लेखाशीर्ष-4075-विविध सामान्य सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय- 797-आरक्षित निधियों तथा जमा लेखों को/से अन्तरण-03-अवस्थापना सुविधाओं के विकास हेतु उत्तर प्रदेश व्यापार विकास निधि को अन्तरण-48-अन्तर्लेखासंक्रमण के नामें डाला जाएगा तथा प्रश्नगत धनराशि को पुस्तक समायोजन द्वारा वर्ष 2015-16 में लोक लेखा के लेखाशीर्ष-8229-विकास तथा कल्याण निधि-200-अन्य विकास तथा कल्याण निधि-14-उत्तर प्रदेश व्यापार विकास निधि में जमा किया जायेगा।

भवदीय,

(मुकेश मित्तल)
सचिव।

संख्या-1/ई-9-349(1)/ दस-2015 एवं तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम, उत्तर प्रदेश इलाहाबाद।
2. मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
3. वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1।
4. कर एवं निबन्धन अनुभाग-4।

आज्ञा से,

(राजीव श्रीवास्तव)
विशेष सचिव

---

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in